संख्याः- 02/2020/929/61-2019- 550/2019

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1293/सी0ई0ओ0-3-29/3-2019, दिनांक-24 दिसम्बर, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय, लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, टेलीफोन पर व्यय, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय इत्यादि के लिए रू0—186.14 लाख (रूपये एक करोड़ छियासी लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कर लिया जायेगा।

(5) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(8) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर/उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (Gem)/आई0टी0 टेण्डरिंग के माध्यम से किये जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03- सामान्य निर्वाचन—00—04—यात्रा व्यय मद की संभावित बचतों से अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05- निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-46- कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय एवं लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन—00—11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई तथा लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन—00—13—टेलीफोन पर व्यय एवं लेखाशीर्षक 2015—निर्वाचन—00—105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन—00—42—अन्य व्यय तथा लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-08-कार्यालय व्यय एवं 42- अन्य व्यय के अंतर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-12-2011/दस-19, दिनांक 07 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्तः-

भवदीय,

योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव।

संख्याः- 02/2020/929/61-2019-550/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2019-2020 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 04-यात्रा व्यय	8874.50	186.14	186.14	186.14	8688.36
योग:-	**8874.50**	**186.14**	**186.14**	**186.14**	**8688.36**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचन नामावली तैयार करना एवं मुद्रण 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00- 46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेर का क्रय	5.00	40.53	35.53	35.53	40.53
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	696.11	796.11	100.00	100.00	796.11
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 13-टेलीफोन पर व्यय	172.00	174.00	2.00	2.00	174.00
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 42-अन्य व्यय	660.22	675.22	15.00	15.00	675.22
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 08-कार्यालय व्यय	134.85	158.46	23.61	23.61	158.46
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 42-अन्य व्यय	27.42	37.42	10.00	10.00	37.42
योग:-	**1695.60**	**1881.74**	**186.14**	**186.14**	**1881.74**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः-
चालू वित्तीय वर्ष-2019-2020 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-

जिला निर्वाचन कार्यालयों तथा वी0आर0एस0 केन्द्रों के प्रयोगार्थ कंप्यूटर, प्रिंटर, एंटीवायरस एवं यू0पी0एस0 के क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बंधित देयकों के भुगतान हेतु, लोक सामान्य निर्वाचन-2019 के समय जनपदों द्वारा क्रय की गयी लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, जनपदों में स्थापित किये गये टेलीफोन से सम्बंधित देयकों के भुगतान हेतु, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्वाचन ड्यूटी में मृत हुए कार्मिक के आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु ई0सी0आर0पी0 शुल्क के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु व विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 में प्रयुक्त भारी/हल्के वाहनों हेतु क्रय किये गये ईधन के देयकों के भुगतान हेतु तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 में निर्वाचन ड्यूटी में मृत हुए कार्मिक के आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। , **संख्याः आरई. 272/ई-12-2011 /दस-2019, दिनांक 07जनवरी, 2020**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

संख्याः 02/2020/929/61-2019-550/2019, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in